न्यायालय : न्यायिक मजिस्टेट् प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आपराधिक प्र.क.: 902 / 2014</u> संस्थित दि: 29 / 09 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - - - - अभियोगी

विरुद

सुरेन्द्र टेकाम पिता फागुसिंह उर्फ दोवार जाति गोंड, निवासी कुडेला थाना मोतीनाला जिला मण्डला (म.प्र.) — — — — — — — आरोपी

-<u>ः उर्पापण - आदेश ः-</u>-

(आज दिनांक 13/10/2014 को उपार्पित किया गया)

- (01) र्इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा मे है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया कुमारी सुन्ति मेरावी ने दिनांक 08.09.2014 को आरक्षी केन्द्र गढ़ी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 07.09.2014 को दिन के लगभग 10:00 बजे उसके घर के बाहर अकेली खड़ी थी आरोपी सुरेन्द्र आया और बोला कि पानी पिलाओं और घर में बैठ गया उसने घर से बाहर जाने के लिए बोला तो घर का दरवाजा बंद कर उसका मुंह दबाकर जमीन पर पटक दिया और गर्दन दबाकर बोला कि चिल्लाई तो जान से मार दूंगा और जबरदस्ती उसके कपड़े उतारे और उसके साथ शारीरीक संबंध बनाये जिससे वह बेहोश गयी उसकी मां आयी तो आरोपी पीछे के दरवाजे भाग गया। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र गढ़ी में आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 69/14 अन्तर्गत धारा 452, 376, 506 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 376, 506 के तहत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर धारा 452, 376, 506 भा.दं. वि. का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराओं में से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश

-//02//- आपराधिक प्र.कः. 902/2014

महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

- आरोपी को धारा 207 द०प्र०सं० के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गई।, (06)
- उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (07) महोदय, बालाघाट को भेजी जावे । 🦠
- न्यायिक में आरोपी अभिरक्षा प्रकरण उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 27.10. 2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

्रष्ट्रेट प्रः
, जिला बार (डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,